

25/09/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 09/10/2024 को पेश है।

S.D.O.

09/10/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 13/11/2024 को पेश है।

S.D.O.

13/11/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 17/12/2024 को पेश है।

S.D.O.

17/12/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 15/01/2025 को पेश है।

S.D.O.

15/01/2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 12/02/2025 को पेश है।

S.D.O.

12/02/2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील उभय पक्ष द्वारा मजिद बहस सुनाने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 10/03/25 को पेश है।

10/03/25



फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम ..... लारामणा

प्रकार : प्रार्थना-पत्र

नं० ..... 108

सन् 2022

मुकदमा

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इसमें  
जारी हुए

03  
2025

पत्रावली पेशा हुई P.O. साहेब  
अ.व.अ.पर. होने से  
अब पत्रावली पूर्वोक्त दिनांक  
26/03/25 को पेश की जावे

प.०.  
साहेब

03  
2025

पत्रावली पेशा हुई उभय पक्षकारान् उपस्थित।  
वकील उभय पक्ष द्वारा बख्त मजिद मुन्शी का एक  
अप्पर-घाहा किया जाता है पत्रावली पेश  
बख्त कातिक दिनांक 24/04/2025 को पेश है।

S.O.

04  
2025

पत्रावली पेशा हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित।  
वकील वदी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया  
कि पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।  
अतः वदी द्वारा उक्त में कोई अग्रिम कार्यवाही  
नहीं चाहते से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर बिना  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली जिसल  
शुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर  
शामिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वि. 57  
S. O.